न्यायलय–श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर

Case Number -SUM/37905/26

//निर्णय//

(आज दिनांक 17/8/26 को घोषित किया गया।)

1. अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर यह साबित हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 07/8/26 को समय लगभग 20.30 बजे, आरक्षी केन्द्र ~~हीरानगर~~ छत्रीपुरा जिला इंदौर स्थित G.N.T मार्केट तिराहा रोड इंदौर, में सार्वजनिक स्थान आम रोड पर मदिरापान करते हुये मदिरा से मत्त हालत में पाए गए एवं मदिरा से मस्त होकर लोक स्थान पर मदिरा पान कर रहे थे। परिणामतः अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

03. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गयी अपराध स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 200/– (दो सौ रुपये) रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 03 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति महत्वहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)

श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)